

बजटेंतर संसाधनों का विवरण
(सरकार द्वारा पूरी तरह चुकाए जाने वाले बॉण्ड और अन्य संसाधन)

- i. निम्नलिखित तालिका में वार्षिक वित्तीय विवरण से सरकार द्वारा पूरी तरह चुकाए जाने वाले बॉण्डों के माध्यम से वित्तपोषित योजनाओं और धनराशि की सूची दी गई है। इन्हें एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(कक) (iii)¹ के अनुसार केंद्र सरकार के ऋण का भाग माना जाता है।

मांग सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम और योजना का नाम	2016-17 से 2022-23 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	2024-25 बजट अनुमान	2024-25 संशोधित अनुमान	2025-26 बजट अनुमान
60	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय					
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - शहरी	20,000.00				
62	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग					
	(i) पोलावरम सिंचाई परियोजना	6,236.00				
	(ii) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य परियोजनाएं)	13,270.80				
63	पेयजल और स्वच्छता विभाग					
	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	12,298.20				
71	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
	ग्रिड इंटरएक्टिव नवीकरणीय विद्युत, ऑफ-ग्रिड / संवितरित एवं विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत	1,640.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
78	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय					
	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) परियोजनाएं	1,000.00				
79	विद्युत मंत्रालय					
	(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य	29,109.30				
	(ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि परियोजनाएं	5,504.70				
87	ग्रामीण विकास विभाग					
	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण	48,809.60				
	कुल	1,37,868.60				

टिप्पणियां:

(i) रेल मंत्रालय को अपनी राष्ट्रीय परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 10,200 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2018-19 में 5,200 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 में 5,000 करोड़ रुपये) तक की निधियों की आवश्यकता की पूर्ति ऋणों के माध्यम से करने की अनुमति थी। इस देनदारी के भुगतान का वहन सरकार के सामान्य राजस्व से किया जा रहा है।

¹ एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(कक) (iii) के अनुसार, 'केंद्र सरकार के ऋण' में "ऐसी वित्तीय देनदारियां शामिल हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किसी कारपोरेट निकाय या अन्य प्रतिष्ठान की हों और जिनकी अदायगी या चुकौती वार्षिक वित्तीय विवरण से की जानी होती है जिसे उस तारीख के अंत में उपलब्ध नकद शेष को इस अदायगी से घटा दिया जाता है"

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी लगाना: वर्ष 2017-18 में 80,000 करोड़ रुपए, वर्ष 2018-19 में 1,06,000 करोड़ रुपए, वर्ष 2019-20 में 65,443 करोड़ रुपए, वर्ष 2020-21 में 17,364 करोड़ रुपए और वर्ष 2021-22 में 4,600 करोड़ रुपए की राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पुनर्पूँजीकरण के लिए लगाई थी।

II. निम्नलिखित तालिका में वार्षिक वित्तीय विवरण से चुकाए जाने योग्य राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित योजनाओं और धनराशि की सूची दी गई है। इन्हें एफआरबीएम, अधिनियम, 2003 की धारा 2 (कक) (iii) के अनुसार केंद्र सरकार के ऋण का भाग माना जाता है।

- शून्य -

टिप्पणी:

(i) एनएसएसएफ से लिए गए ऋणों की अदायगी की जा चुकी है।